कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, प्रतापगढ़।

संख्या– 140 /व्यवस्थापन/2020–21/प्रतापगढ़/ दिनांक :जून 2, 2020

विज्ञप्ति

इस कार्यालय द्वारा निर्गत विज्ञप्ति संख्या 1616/व्यवस्थापन/2020–21 दिनांक 20 मार्च 2020 द्वारा 26 भांग की फुटकर दुकानों की ई–लाटरी के द्वितीय चरण हेतु आनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कारनें की समय सारणी प्रकाशित की गयी थी तथा कोविड–19 के कारण द्वितीय चरण हेतु आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि समय–समय पर आबकारी आयुक्त उ0प्र0 द्वारा परिवर्तित की गयी थी। कार्यालय आबकारी आयुक्त उ0प्र0 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति संख्या 12567/टास्क फोर्स–2/ई–लाटरी/2019–20 लखनऊ दिनांक 1 जून 2020 के क्रम में द्वितीय चरण की ई–लाटरी की संशोधित समय सारणी निम्नवत निर्धारित की जाती है –

क्र0	द्वितीय चरण	तिथि/स्थान
1	द्वितीय चरण में ऑन लाइन आवेदन करने की अतिम तिथि एवं समय	04.06.2020 को सांय 5.00 बजे तक
2	द्वितीय चरण में ऑन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण	04.06.2020 को सांय 5.00 बजे से 05.06.2020 को अपरान्ह 2.00 बजे तक
3	द्वितीय चरण की ई–लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल	06.06.2020 को प्रातः 11.00 बजे से एन0आई0सी0 कलेक्ट्रेट प्रतापगढ़

विस्तृत विवरण जनपद की वेबसाइट pratapgarh.nic.in पर भी उपलब्ध है। उपरोक्त के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक जनपद प्रतापगढ़ से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

02/6/2020
(राजेश कुमार सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी
प्रतापगढ

(डॉ0 रूपेश कुमार)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी
प्रतापगढ़।

संख्या 141 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को उक्त ई–लाटरी की तिथि को लाटरी चयन समिति के सदस्य के रूप में उपस्थित रहने हेतु।

2– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ़ को जनपद के एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– जिला सूचना अधिकारी प्रतापगढ़ को दस प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति समाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशित करानें का कष्ट करें।

4–समस्त संबंधित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक प्रतापगढ़ को उपरोक्तानुसार अनुपालन करते हुये जनपद की समस्त अवशेष भांग दुकानों का शत प्रतिशत व्यवस्थापन कराना सुनिश्चित करें।

5– सम्पादक समाचार पत्र अमर उजाला को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने समाचार पत्र के अगले अंक में प्रतापगढ़ सिटी पेज पर 13 से0मी0×13 से0मी0 (लगभग) के बाक्स में न्यूनतम निर्धारित सरकारी दर पर प्रकाशित कर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें।

(डॉ रूपेश कुमार)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी
प्रतापगढ़।

Scanned by CamScanner